


30.7.2019

प्रार्थी /अपीलांट के अधिवक्ता एवं परोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र पेश किया जाने का निवेदन किया गया है। बहस में अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने का निवेदन किया गया। परोकार सरकार द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया तो पाया कि मौके पर से अतिक्रमी ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाने का निवेदन किया है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सद्भावना पूर्ण पाये जाने से विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(सरेन्द्र कुमार सोलंकी)